क्रम संख्या–127

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 06 जुलाई, 2015 ई0

आषाढ़ 15, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–6

संख्या 166/XXVII (6)/2015

देहरादून, 06 जुलाई, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड कोषागार अधीनस्थ संवर्ग सेवा नियमावली, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड कोषागार, पेंशन एवं हकदारी अधीनस्थ संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कोषागार, पेंशन एवं हकदारी अधीनस्थ संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2\. उत्तराखण्ड कोषागार अधीनस्थ संवर्ग सेवा नियमवाली, 2003 के वर्तमान नियम 3, 4, 5, 8 व परिशिष्ट 'क' के स्थान पर निम्नवत् स्तम्भ 2 में दिया गया नियम एवं परिशिष्ट 'क' व 'ख' रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतत्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1	2
3. परिभाषाएं : (क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य लेखा लिपिक, लेखा लिपिक (रोकड़) सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार (रोकड़), लेखाकार व लेखाकार (रोकड़), के पदों के लिये सम्बन्धित ''जिलाधिकारी'' तथा सहायक/उपकोषाधिकारी एवं सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) के लिये ''निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून'' से है।	3. परिभाषाएं : (क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य लेखा लिपिक, सहायक लेखाकार, लेखाकार व लेखाकार (रोकड़), के पदों के लिये सम्बन्धित ''जिलाधिकारी'' तथा कोषागार निदेशालय के सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों व सहायक/उपकोषाधिकारी एवं सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) के लिये ''निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून'' से है।
4– सेवा का संवर्ग सेवा के सदस्य संख्या– (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। (2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट ''क'' में विनिर्दिष्ट है : परन्तु यह कि – (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।	4– सेवा का संवर्ग सेवा के सदस्य संख्या– (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। (2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट ''क'' व परिशिष्ट ''ख'' में विनिर्दिष्ट है : परन्तु यह कि – (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।
5. भर्ती का स्रोत (ग) लेखाकार/लेखाकार (रोकड़): जिले के कोषागार/उपकोषागारों में स्थायी रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़) (मृत संवर्ग) के पदधारकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली तिथि को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।	5. भर्ती का स्रोत (ग) लेखाकार/लेखाकार (रोकड़): कोषागार निदेशालय एवं जिले के कोषागार/उपकोषागारों में स्थायी रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़) (मृत संवर्ग) के पदधारकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली तिथि को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

1	2
(घ) सहायक कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी (रोकड़): राज्य के कोषागारों में मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकारों / लेखाकार (रोकड़) (मृत संवर्ग) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली तिथि को इस रूप नें कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	(घ) सहायक कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी (रोकड़): कोषागार निदेशालय एवं राज्य के कोषागारों में मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकारों / लेखाकार (रोकड़) (मृत संवर्ग) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली तिथि को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित स्रोतों से की जायेंगी :- (क) कोषागार निदेशालय लेखाकार चार प्रतिशत (ख) कोषागार लेखाकार छियानवें प्रतिशत
8-शैक्षिक अर्हता (2) सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी0बी0ए0 (Bacholor in Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा भारत सरकार के संस्थान "Department of Electronics Accredited Computer Course" द्वारा प्रदत्त "ओ" लेविल प्रमाण पत्र के साथ कम्प्यूटर पर 5000 की-डिप्रेशन प्रति घन्टे की गति होनी चाहिए।	8-शैक्षिक अर्हता (2) सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी0बी0ए0 (Bacholor in Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा हिन्दी में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घन्टे की गति होनी चाहिए।

परिशिष्ट "क" नियम 4(2) का संलग्नक (जनपद)

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान एवं ग्रेड पे	पदों की संख्या
1.	उपकोषाधिकारी	₹ 15600–39100 / 5400	66
2.	सहायक कोषाधिकारी	₹ 9300–34800 / 4800	104
3.	सहायक कोषाधिकारी (रोकड़)	₹ 9300–34800 / 4800	18
4.	लेखाकार	₹ 9300–34800 / 4200	177
5.	सहायक लेखाकार	₹ 9300–34800 / 2800	326
6.	लेखा लिपिक	₹ 9300–34800 / 1900	17
	योग		708

परिशिष्ट "ख" नियम 4(2) का संलग्नक (मुख्यालय)

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान एवं ग्रेड पे	पदों की संख्या
1.	उपकोषाधिकारी	₹ 15600–39100 / 5400	03
2.	सहायक कोषाधिकारी	₹ 9300–34800 / 4800	04
3.	लेखाकार	₹ 9300–34800 / 4200	08
4.	सहायक लेखाकार	₹ 9300–34800 / 2800	12
	योग		27

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,

अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 वित्त / 410–2015–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।